न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 74/18
निर्णय दिनांकः 14.06.2018

1. विश्राम पुत्र कल्याण जाति बागरिया नि0 सोलावता तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खं0नं0 35/8 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम सोलावता प0ह0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसके वादी के पिता कल्याण पुत्र भोलू बागरिया 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार था। वादी के पिता कल्याण पुत्र भोलू का वादी की नाबालगी की अवस्था मे ही देहावसान हो गया था जिसकी विरासत का फौती नामान्तकरण केम्प नरायना में जरिये नामान्तकरण सं0 393 दिनांक 19.01.93 को तस्दीक किया गया। नामान्तकरण सं0 393 के अनुसार कल्याण पुत्र भोलू की विरासत का नामान्तकरण दाखा बेवा कल्याण, हनुमान, नोला, जसकरण पि0 कल्याण के नाम खोला जाकर बाद तस्दीक राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया गया। वरवक्त तस्दीक किये जाने नामान्तकरण वादी की आयु मात्र 10 वर्ष थी। वह नाबालिक था व घर पर बोलते नाम जसकरण पुत्र कल्याण के नाम से पुकारा जाता था इसलिए वादी की माता दाखा बेवा कल्याण ने वरवक्त खोले जाने नामान्तकरण वादी का नाम जसकरण अंकित करवा दिया जबकि वादी का रिकोर्डेड नाम विश्राम था इसलिए जसकरण के स्थान पर विश्राम नाम अंकित किया जाना चाहिए था। वादी की माता दाखा के अनपढ़ होने भविष्य में आने वाली पेचिदगियों की समझ ना होने से अज्ञानतावंश वादी का नाम विश्राम के स्थान पर जसकरण अंकित करवा दिया उक्त जसकरण व विश्राम वादी के नाम है जिसे बचपन मे घर के बोलते नाम जसकरण से एवं वर्तमान में विश्राम के नाम से जाना व पहचाना जाता है। वादी की माता दाखा बेवा कल्याण द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर दिये जाने के पश्चात् वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073-76 में आराजी खं0नं0 35/8 की खातेदारी हनुमान, नोला, जसकरण पि0 कल्याण हि0 1/4 कौम बागरिया दर्ज है वादी के राशनकार्ड, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, जोबकार्ड आदि में उसका नाम विश्राम दर्ज है जबकि वादग्रस्त आराजी में उसका नाम जसकरण दर्ज है जिससे वादी को अपनी आराजी

Scanned by CamScanner

पर ऋण लेने एवं विकास करने का या अन्य सहायता प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है इसलिए वादी की ओर से उपरोक्त वाद बाबत् इन्द्राज व घोषणा खातेदारी विरूद्व प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा में पेश हुयी। वकील वादी व प्रतिवादी स्वंय उपस्थित है। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम सोलावता के खाता सं0 207 किता 1 रकबा 15 बीघा में हनुमान, नोला, जसकरण पि0 कल्याण कौम बागरिया हि0 1/4 दर्ज है जो कि नामान्तकरण सं0 393 दिनांक 19.01.03 के स्वीकार होने पर हनुमान, नोला, जसकरण पि0 कल्याण कौम बागरिया हि0 1/3 के नाम स्वीकार हुआ जो प्रार्थी के आधारकार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड आदि सभी दस्तावेजों में विश्राम दर्ज है अतः जसकरण पुत्र कल्याण बागरिया के स्थान पर विश्राम पुत्र कल्याण बागरिया किये जाने की रिपोर्ट पेश की है।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2073–2076, फौती नामान्तकरण, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, जोब कार्ड पेश किया है।

वकील वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार के जवाब का अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद निम्न निर्देश के साथ डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री पारित कर आदेश दिये जाते है कि आराजी खं0नं0 35/8 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम सोलावता प0ह0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का तहसीलदार द्वारा धारा 122, 123 के तहत जांच करके जसकरण पुत्र कल्याण हि0 1/12 में जसकरण का नाम हजफ किया जाकर वादी का नाम जसकरण के स्थान पर विश्राम दर्ज करें। राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद कर तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

विश्राम बनाम तहसीलदार

<u>वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा खातेदारी</u>

मुकदमा नंबर 74/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र कुमार चौपड़ा व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री पारित कर आदेश दिये जाते है कि आराजी ख0नं0 35/8 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम सोलावता प0ह0 सिरोहीखुर्द तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 का तहसीलदार द्वारा धारा 122, 123 के तहत जांच करके जसकरण पुत्र कल्याण हि0 1/12 में जसकरण का नाम हजफ किया जाकर वादी का नाम जसकरण के स्थान पर विश्राम दर्ज करें। ....निज .... मुबलिग.. बाबत्.................................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.................................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............................. ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत..............
उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner